



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार 22 नवम्बर, 2016 / 1 अग्रहायण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Dated: 21st November, 2016

No. HHC/Rules/14-61/90-V.—In exercise of the powers vested under Article 229(2) of the Constitution of India and all other enabling provisions in this behalf, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh is pleased to make following amendments in The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct and Appeal), Rules 2015.

Brief description of the heading	No. of the Rule	Particulars of the Rule						
Short title	1	These Rules shall be called The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Promotion, Conditions of Service, Conduct and Appeal)(3rd Amendment-2016),Rules 2015.						
Commencement	2	These Rules shall come into force on the date of publication.						
	(i)	In Schedule-II, after the existing Serial No.8, the following Serial No. 8-A with corresponding entries in various columns, shall be added.						
		8-A,	Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice in the payscale of Additional Registrar.	1	Rs.15600-39100+8400 G.P.+ Rs. 2500 Secretariat Pay+ Rs.1200 Special Pay.			
	(ii)	In Schedule-II, the existing Serial No. 10 and corresponding entries pertaining to "Deputy Registrar-cum-Special Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice" shall stand deleted.						
	(iii)	In Schedule-II, Serial No.13, column No. 3, the existing figure "14" and the words (One post kept in abeyance on creation of DR cum-Spl. Secy. to HCJ), shall stand deleted and substituted by figure-"15" and Figure-"541", of total posts mentioned in the end of Schedule-II shall be replaced by figure-"542".						
	(iv)	In Schedule-III, Part-A, Class-1 (Gazetted), Column No. 4, of Serial No.1, Registrar (Establishment), after the existing words "Additional Registrars", the words "and Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice" shall be added. After amendment Column No. 4 shall read as under:-- "By selection from amongst the Additional Registrars and Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice".						
	(v)	In Schedule-III, Part-A, Class-1 (Gazetted), after the existing Serial No.2, the following new Serial No. 3 with the corresponding entries shall be added, whereas the existing Serial No.3 with amendments shall be renumbered as Serial No. 4.						
		3	Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice	1	By selection from amongst the Deputy Registrars who are from the channel of Private Secretaries	Graduation	-	Rs. 15600-39100+8400 GP + Rs. 2500 Secretariat Pay+ Rs. 1200 Special Pay.

	(vi)	In Schedule-III, Part-A, Class-I (Gazetted), the existing serial No.4, and corresponding entries in respect of the post of “Deputy Registrar-cum-SPS to Hon’ble the Chief Justice” shall stand deleted and new Serial No. 4 with corresponding entries, with respect to the “Deputy Registrars” shall be added as under:--						
		4	Deputy Registrars	5	By selection from amongst the Secretaries/ Court Masters/Assistant Registrars in the ratio of 2:2:1 in the following order— One secretary, one Court Master, one Secretary, one Court Master and One Assistant Registrar shall be promoted. This cycle shall be repeated in the same order. Explanation:- If the last vacancy of the Deputy Registrar stands filled from one particular category, say from the feeder channel of Assistant Registrars, then the next vacancy shall be filled in accordance with these Rules.	Graduation	2 years	Rs. 15600-39100+7600 GP+Rs. 2500 Secretariat Pay.
	(vii)	In Schedule-III, Part-A, Class-I (Gazetted), Serial No.7, Column No. 3, the existing figure-“14” shall stand deleted, and substituted by figure-15”.						

BY AND UNDER THE ORDER OF THE
HON’BLE Chief Justice, HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH,
SHIMLA.

(REGISTRAR GENERAL).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Mohan Lal s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Bhalwani, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Deepika d/o Shri Daulat Ram, r/o VPO Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Mohan Lal s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Bhalwani, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Mohan Lal s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Bhalwani, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Deepika d/o Shri Daulat Ram, r/o VPO Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Mohan Lal s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Bhalwani, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-01-2016 according to Hindu rites and customs at Village Sunder Nagar, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-11-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 29th day of October, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Tek Chand s/o Shri Ram Singh, r/o Damohal, P.O. Upper Behli, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Arti d/o Shri Jiya Lal, r/o H.No. 35/9 Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.
.. Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

NOTE :

Shri Tek Chand s/o Shri Ram Singh and Smt. Arti d/o Shri Jiya Lal have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-2016 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-12-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 03-11-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi, (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Anita Kumari d/o Shri Rajender Kumar, r/o Village Ratog, P.O. Kangoo, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.

2. Ajay Kumar s/o Shri Dila Ram, r/o Village Dhodhwan, P.O. Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.

.. Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

NOTE :

Anita Kumari and Ajay Kumar applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-04-2016 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-12-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02-11-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :—

1. Neeraj Sharma s/o Shri Naresh Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o Village Chandyal, P.O. Galgal, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.)
2. Swati d/o Shri Vinod Kumar s/o Shri Neeru Ram Awasthi, Village & P.O. Deogram, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, Shri Neeraj Sharma s/o Shri Naresh Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o Village Chandyal, P.O. Galgal, Tehsil Balh, District Mandi, (H. P.) and Smt. Swati d/o Shri Vinod Kumar s/o Shri Neeru Ram Awasthi, Village & P.O. Deogram, Tehsil Palampur, District Kangra (H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-04-2016 according to Hindu rites and customs at Village Deogram, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 05-12-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 5th day of November, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पधर, तहसील पधर

उनवान मुकदमा 37(2)

तारीख पेशी : 19-12-2016

उतम चन्द पुत्र श्री देवी राम, निवासी जोरला, डा0 बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

प्रार्थी

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी

आवेदन पत्र जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दुरुस्त करने बारा।

आवेदक उतम चन्द पुत्र श्री देवी राम, निवासी जोरला, डा0 बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बल्ह टिक्कर के रिकार्ड में उतम चन्द दर्ज है। जो सही नाम दर्ज है। जबकि महाल जोरला/522 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम उम सिंह दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम उतम सिंह के स्थान पर उतम चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 19-12-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 07-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर,
जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 04/2016

तारीख मरजुआ : 16-07-2016

श्री दिला राम पुत्र स्व0 श्री मशू, निवासी ग्राम नरैण, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री दिला राम पुत्र स्व0 श्री मशू, निवासी ग्राम नरैण, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा नरैण दोयम, नरैण अब्बल, कशैणी व शरौंथा के राजस्व रिकार्ड में दिलू राम दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड एवं स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार दिला राम पुत्र स्व0 श्री मशू, निवासी ग्राम नरैण है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने बार कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 29-11-2016 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करे। अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर,
जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 6/2016

तारीख मरजुआ : 18-07-2016

श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 श्री भगत चन्द, निवासी ग्राम गुजान्दली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 श्री भगत चन्द, निवासी ग्राम गुजान्दली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपना नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा गुजान्दली के राजस्व रिकार्ड में प्यारु देवी दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, राशन कार्ड के अनुसार तारा देवी पत्नी स्व0 श्री भगत चन्द है। जो कि सही व सत्य है जिस बारे उपरोक्त आवेदिका ने मोहाल गुजान्दली के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने बार कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 29-11-2016 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करे। अन्यथा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर,
जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 05/2016

तारीख मरजुआ : 16-07-2016

श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री भाग चन्द निवासी ग्राम जगटेरली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री भाग चन्द निवासी ग्राम जगटेरली, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा जगटेरली के राजस्व रिकार्ड में सुनील कुमार दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, निर्वाचन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री भाग चन्द निवासी ग्राम जगटेरली है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 29-11-2016 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करे। अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी० एल० शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि० प्र०।

ब अदालत श्री पी० एल० शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर,
जिला शिमला, हि० प्र०

मिसल नं० 02/2016

तारीख मरजुआ : 27-05-2016

श्री जिया लाल पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम कडीवन, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

हरगाह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है श्री जिया लाल पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम कडीवन, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा कडीवन के राजस्व रिकार्ड में जैलू दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, निर्वाचन प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड के अनुसार जिया लाल पुत्र श्री केवल राम, निवासी ग्राम कडीवन है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्त करने बार कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 29-11-2016 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करे। अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी० एल० शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि० प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी जामू-कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत जेरधारा 4(2) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

इस कार्यालय में प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी जामू-कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी 31-05-2016 को श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री बलदेव सिंह, निवासी जामू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी जामू-कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 व श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री बलदेव सिंह, निवासी जामू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की शादी का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत जामू-कोटी, तहसील ददाहू के कार्यालय में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2016 तक अपना एतराज इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है उपरान्त कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी जामू-कोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 पर नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।